न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 47/2016
GCMS NO. : 2016/00536

–: वादीगण :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

वादीगण

1. दिनदयाल गौड पुत्र नेमीचन्द
2. भगतराज गौड पुत्र नेमीचन्द

जातियान– ब्राह्मण, निवासीगण– ग्राम रास, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0, हाल निवास– 273ए, सेक्टर–7 कच्ची बस्ती विस्तार योजना, पत्रकार कॉलोनी के पास, जोधपुर जिला– जोधपुर, राज0।

प्रतिवादीगण

1. दीपक पुत्र बंशीलाल
2. कान्ता पत्नी बंशीलाल
3. मदनलाल पुत्र कुनाराम
4. सोहनलाल पुत्र कुनाराम
5. पुखराज पुत्र कुनाराम
6. टीकमचन्द पुत्र नेमीचन्द
7. मोहन बेवा नेमीचन्द
8. किरण कुमार पुत्र रतनलाल
9. जगदीश प्रसाद पुत्र सम्पतराज
10. ओमप्रकाश पुत्र सम्पतराज
11. श्रीकिशन पुत्र सम्पतराज
12. दामोदर पुत्र सम्पतराज
13. कालूराम पुत्र सम्पतराज
14. गौतमचन्द पुत्र सम्पतराज
15. रामकंवरी बेवा सम्पतराज
16. रामपाल पुत्र मोहनलाल के का0मु0
   16/1. स्वरूपचन्द पुत्र रामपाल
   16/2. लालचन्द पुत्र रामपाल
   16/3. सन्तोषचन्द पुत्र रामपाल
17. भंवरलाल पुत्र शिवनारायण के का0मु0
   17/1. गीतादेवी पत्नी भंवरलाल
   17/2. गोकलचन्द पुत्र भंवरलाल
   17/3. जगदीशप्रसाद पुत्र भंवरलाल
   17/4. सुशीलकुमार पुत्र भंवरलाल
18. शांतिलाल पुत्र शिवनारायण
19. दिनेशकुमार पुत्र सुगनचन्द
20. चेतनकुमार पुत्र सुगनचन्द
21. कमला पत्नी सुगनचन्द
22. बद्रीप्रसाद पुत्र मिश्रु
23. श्यामलाल पुत्र मांगीलाल
24. सत्यनारायण पुत्र मांगीलाल
25. [illegible] पुत्र मां[illegible]
26. श्रीराम पुत्र रीधा[illegible]

सभी जातियान– ब्राह्मण, [illegible] ग्राम– रास, तहसील– [illegible], जिला– पाली राज0।

27. राजस्थान सरकार ब[illegible] तहसीलदार जैतारण, तहसील जैतारण, जिला– पाली (राज)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू:.26/02/2016

उपस्थितः– 1. श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता वादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 12/08/2021**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि ग्राम– रास–1, पटवार हल्का– रास–1, तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में निम्न विवरण की कृषि भूमि आई हुई हैः– खाता संख्या 267 खसरा नम्बर 142/1 रकबा 09–12 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 312 रकबा 02–01 बीघा, किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1334 रकबा 08–19 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1335 रकबा 04–10 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1336 रकबा 04–07 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1351 रकबा 04–05 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 1397 रकबा 07–19 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1398 रकबा 04–02 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1399 रकबा 03–14 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1418 रकबा 00–06 बीघा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 1419 रकबा 06–12 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 1420 रकबा 20–10 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 1422 रकबा 00–12 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 1671 रकबा 05–01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1672 रकबा 03–11 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1674 रकबा 04–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1675 रकबा 02–16 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 336 रकबा 2–16 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 18 कुल रकबा 95–13 बीघा उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि है जिसे वादग्रस्त आराजी से सम्बोधित किया गया है। जिसकी वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित वादपत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम का विरासती आधार पर नामान्तरण दर्ज किया गया उस समय वादीगण नाबालिग थे और घर में वादीगण को दिनेश व भरत बोलते नाम से पुकारा जाता था इस कारण उस समय उक्त खसरान की भूमियों के राजस्व रेकर्ड में वादीगण का बोलता नाम दिनेश व भरत दर्ज करवा दिया था, जबकि वादीगण का सही व वास्तविक नाम दिनदयाल गौड पुत्र नेमीचन्द व भगतराज गौड पुत्र नेमीचन्द दर्ज है तथा वादीगण अपने इन्ही रेकर्डडेड नामों से वादीगण को जाना पहचाना व पुकारा [illegible] इस प्रकारण वादीगण का सही नाम दिनेश व भरत दर्ज होनें [illegible] से संबंधित सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यो के निर्वहन में परेशानी होती है। अब वादीगण जवान व बालिग है और अपने उक्त खसरान की भूमियों के राजस्व रेकर्ड [illegible] इन्द्राज दुरूस्त करवाने का वादीगण विधिक रूप से अधिकारी है। वादीगण का सही एवं वास्तविक नाम दिनदयाल गौड पुत्र नेमीचन्द व भगतराज गौड पुत्र नेमीचन्द होनें के समर्थन में वादीगण के अन्य दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं स्कूल रेकर्ड की फोटो प्रतियां वादपत्र के साथ प्रस्तुत है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमियों के राजस्व रेकर्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

इन्द्राज वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 06 के नाबालिग अवस्था का हटाया जावें क्योंकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 06 पूर्ण रूप से बालिग हो चुके है और अपने राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करवाने के कानूनी रूप से अधिकारी है। उक्त संबन्धी दस्तावेज वादपत्र के साथ पेश है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण संख्या 27 राजस्थान सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारी है। जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करनें से पूर्व कानूनी अवधि का नोटिस दिया जाना न्यायोचित है किन्तु वाद की परिस्थितियों इस प्रकार से उत्पन्न हो चुकि है कि कानूनी अवधि तक इंतजार किया जाने से वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा। इस हेतु अलग से 80(02) सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति चाही गई है। वाद कारण दिनांक 25.09.2015 को उत्पन्न हुआ जब वादी बैक से ऋण लेने हेतु अपनी उक्त भूमियों की नकलें लेकर बैंक में उपस्थित हुआ तब वादी की जानकारी में आया की राजस्व रेकर्ड में दिनेश व भरत नाम दर्ज है, जबकि वादीगण के पहचान पत्र, आधार कार्ड में दिनदयाल गौड पुत्र नेमीचन्द व भगतराज गौड पुत्र नेमीचन्द दर्ज है। वादीगण को अपने राजस्व रेकर्ड में अपने नाम की गलत प्रविष्टि की जानकारी भी उसी दिन हुई और वादीगण ने उसी रोज अपने राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त कर अपने राजस्व रेकर्ड में अपने गलत नाम दिनेश व भरत को हटवाने की घोषणा करवाने व रेकर्ड दुरूस्त करवाने का वाद पत्र श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जो श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है जो अन्दर म्याद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। बावजूद सम्मन तामिल/सूचना के अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। बहस विद्वान वकील वादी की सुनी गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। पत्रावली का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. वादीगण द्वारा वादपत्र में यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण सहखातेदार है, तथा वादीगण नाबालिग थे तब इन्हें घर पर दिनेश व भरत के बोलते नाम से पुकारते थे तथा नाबालिग अवस्था में ही फौतेदगी नामान्तरण के समय इन्हीं बोलते नाम का इन्द्राज कर दिया जबकि सभी सरकारी व अर्द्ध सरकारी दस्तावेजात् में सही नाम क्रमशः दीनदयाल गौड़ व भगतराज गौड़ पुत्र नेमीचन्द है। अतः भू अभिलेख में वादीगण का त्रुटिपूर्ण नाम विलोपित करते हुये सही व वास्तवकि नाम जरिये घोषणा दर्ज किया जावें। साथ ही भू अभिलेख में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 06 के नाम के समक्ष अंकित नाबालिग की प्रविष्टि को विलोपित किया जावें क्योंकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 06 अब सभी बालिग है।

2. प्रदर्श-1 जमाबन्दी ग्राम रास प्रथम सम्वत् 2069-20[illegible] के अनुसार वादग्रस्त आराजी में टिकमचन्द, दिनेश, भरत पि0 नेमीचन्द नाबालिग [illegible] मोहनी बेवा नेमीचन्द बतौर सहखातेदार दर्ज है। प्रदर्श-2ए वादी दीनदयाल का आधार कार्ड, प्रदर्श-3ए वादी दीनदयाल का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी [illegible]ान पत्र, प्रदर्श-4ए श्रीमति मोहनी देवी पत्नी स्वर्गीय नेमीचन्द का परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श-6ए वादी भगतराज का पैन कार्ड एवं प्रदर्श-7ए वादी भगतराज का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र है, जिनमें वादीगण का नाम क्रमशः दीनदयाल गौड़ व भगतराज गौड़ पुत्र नेमीचन्द है। PW-1 व PW-2 क्रमशः साक्ष्य वादीगण वादी दीनदयाल गौड़ पुत्र नेमीचन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

एवं वादी भगतराज पुत्र नेमीचन्द द्वारा वादपत्र के कथनों एवं तथ्यों का समर्थन करते हुये भू अभिलेख में दर्ज स्वयं के नाम की प्रविष्टियां दिनेश पुत्र नेमीचन्द एवं भरत पुत्र नेमीचन्द नाबालिग को त्रुटिपूर्ण बताते हुये, इनके स्थान पर वादीगण का सही एवं वास्तविक नाम क्रमशः दीनदयाल गौड़ व भगतराज गौड़ होना स्वीकार किया है साथ ही तीनों भाई अर्थात् वादीगण व प्रतिवादी संख्या 06 टीकमचन्द पुत्र नेमीचन्द के बालिग होनें से भू अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि नाबालिग को विलोपित किया जाना आवश्यक माना है।

3. उपर्युक्त दस्तावेजात्, शपथपत्र एं भू अभिलेख के अवलोकन से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 06 का भू अभिलेख में नाम नाबालिग अवस्था में जरिये फौतेदगी नामान्तरण दर्ज हुआ है जिसकी पुष्टि भू अभिलेख में इनके नाम के आगे अंकित नाबालिग कुदरती वली माता की प्रविष्टि से होती है। अतः यह स्वाभाविक एवं विश्वास योग्य है कि वक्त स्वीकृति फौतेदगी नामान्तरण वादीगण का घरेलू स्थानीय बोलचाल का नाम दर्ज कर दिया, जो कि एक लिपिकिय त्रुटि की श्रेणी में आता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् से यह स्पष्ट होता है कि भू अभिलेख में वादग्रस्त आराजी के मृतक खातेदार नेमीचन्द के बतौर वारिसान दर्ज सहखातेदार दिनेश का सही एवं वास्तविक नाम दीनदयाल गौड़ है तथा भरत का सही एवं वास्तविक नाम भगतराज गौड़ है। दस्तावेजात् से यह भी स्पष्ट है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 06 वर्तमान में बालिग है, अतः वाद वादी भलीभांति साबित होनें से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम– रास–1, पटवार हल्का– रास–1, तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में निम्न विवरण की कृषि भूमि आई हुई हैः– खाता संख्या 267 खसरा नम्बर 142/1 रकबा 09–12 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 312 रकबा 02–01 बीघा, किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1334 रकबा 08–19 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1335 रकबा 04–10 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1336 रकबा 04–07 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1351 रकबा 04–05 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 1397 रकबा 07–19 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1398 रकबा 04–02 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1399 रकबा 03–14 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1418 रकबा [illegible]0–06 बीघा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 1419 रकबा 06–[illegible] बीघा किस्म [illegible] दोयम, खसरा नम्बर 1420 रकबा 20–10 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 1422 रकबा 00–12 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 1671 रकबा 05–01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1672 रकबा 03–11 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1674 रकबा 04–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1675 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

2–16 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 336 रकबा 2–16 बीघा किस्म रानी दोयम कुल खसरा 18 कुल रकबा 95–13 बीघा में बतौर सहखातेदार दर्ज ादीगण दीनदयाल गौड़ एवं भगतराज गौड़ के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि क्रमशः ***''दिनेश* व *भरत*** '' को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर वादीगण के सही एवं वास्तविक नाम की प्रविष्टि क्रमशः ***''दीनदयाल गौड़ एवं भगतराज गौड़''*** दर्ज करते हुये भू अभिलेख में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 06 के नाम को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 12/08/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:29 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

[रा]ज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

ईजलास :– श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
दिनदयाल गौड पुत्र नेमीचन्द भगतराज गौड पुत्र नेमीचन्द जातियान– ब्राह्मण, निवासीगण– ग्राम रास, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0, हाल निवास– 273ए, सेक्टर–7 कच्ची बस्ती विस्तार योजना, पत्रकार कॉलोनी के पास, जोधपुर जिला– जोधपुर, राज0।		1. दीपक पुत्र बंशीलाल 2. कान्ता पत्नी बंशीलाल 3. मदनलाल पुत्र कुनाराम 4. सोहनलाल पुत्र कुनाराम 5. पुखराज पुत्र कुनाराम 6. टीकमचन्द पुत्र नेमीचन्द 7. मोहन बेवा नेमीचन्द 8. किरण कुमार पुत्र रतनलाल 9. जगदीश प्रसाद पुत्र सम्पतराज 10. ओमप्रकाश पुत्र सम्पतराज 11. श्रीकिशन पुत्र सम्पतराज 12. दामोदर पुत्र सम्पतराज 13. कालूराम पुत्र सम्पतराज 14. गौतमचन्द पुत्र सम्पतराज 15. रामकंवरी बेवा सम्पतराज 16. रामपाल पुत्र मोहनलाल के का0मु0 16/1. स्वरूपचन्द पुत्र रामपाल 16/2. लालचन्द पुत्र रामपाल 16/3. सन्तोषचन्द पुत्र रामपाल 17. भंवरलाल पुत्र शिवनारायण के का0मु0 17/1. गीतादेवी पत्नी भंवरलाल 17/2. गोकलचन्द पुत्र भंवरलाल 17/3. जगदीशप्रसाद पुत्र भंवरलाल 17/4. सुशीलकुमार पुत्र भंवरलाल 18. शांतिलाल पुत्र शिवनारायण 19. दिनेशकुमार पुत्र सुगनचन्द 20. चेतनकुमार पुत्र सुगनचन्द 21. कमला पत्नी सुगनचन्द 22. बद्रीप्रसाद पुत्र मिश्रु 23. श्यामलाल पुत्र मांगीलाल 24. सत्यनारायण पुत्र मांगीलाल 25. उदयराज पुत्र मांगीलाल 26. श्रीराम पुत्र रीधा सभी जातियान– ब्राह्मण, निवासीगण– ग्राम– रास, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0। 27. राजस्थान [illegible] जरिये तहसीलदार जैतारण, तह[illegible] जै[illegible], जिला– पाली (राज)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:29 IST
Reason: SelfAttested

मु0न0 :रा0वा0 स0: 47/2016

<u>राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्धायलाह

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

…श होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी …तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान …-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया …ाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम- रास-1, पटवार हल्का- रास-1, तहसील जैतारण जिला …ाली राज0 में निम्न विवरण की कृषि भूमि आई हुई है:- खाता संख्या 267 खसरा …म्बर 142/1 रकबा 09-12 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 312 रकबा …2-01 बीघा, किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1334 रकबा 08-19 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1335 रकबा 04-10 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1336 रकबा 04-07 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1351 रकबा 04-05 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 1397 रकबा 07-19 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1398 रकबा 04-02 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1399 रकबा 03-14 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1418 रकबा 00-06 बीघा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 1419 रकबा 06-12 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 1420 रकबा 20-10 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 1422 रकबा 00-12 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 1671 रकबा 05-01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1672 रकबा 03-11 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1674 रकबा 04-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1675 रकबा 02-16 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 336 रकबा 2-16 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 18 कुल रकबा 92-17 बीघा में बतौर सहखातेदार दर्ज वादीगण दीनदयाल गौड़ एवं भगतराज गौड़ के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि क्रमशः ***"दिनेश व भरत"*** को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर वादीगण के सही एवं वास्तविक नाम की प्रविष्टि क्रमशः ***"दीनदयाल गौड़ एवं भगतराज गौड़"*** दर्ज करते हुये भू अभिलेख में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 06 के नाम को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-..... .फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 12/08/2021 को जारी किया गया।

माफिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:29 IST
Reason: SelfAttested

…पदेन
उप… …कारी जैतारण

[illegible]	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
टाम्प अर्जी दावा	05-00	स्टाम्प वकालतनामा	/
टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
टाम्प वजह सबूत	06-00	महनताना वकील	
हनताना वकील	–	खर्चा गवाहान	
ब्रर्चा गवाहान	28-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
ाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः–	40-00	मिजानः–	–Nil–

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:29 IST
Reason: SelfAttested